

अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय

मांग संख्या 66

अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	3969.31	170.00	4139.31	4534.96	165.04	4700.00	4534.96	165.04	4700.00	4639.99	60.01	4700.00
<i>वसूलियां</i>	-82.13	...	-82.13
<i>प्राप्तियां</i>
निवल	3887.18	170.00	4057.18	4534.96	165.04	4700.00	4534.96	165.04	4700.00	4639.99	60.01	4700.00
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय	17.80	...	17.80	19.14	...	19.14	20.01	...	20.01	21.38	...	21.38
2. अल्पसंख्यकों के लिए विशेष कार्यक्रम	63.19	...	63.19	84.79	...	84.79	85.29	...	85.29	94.00	...	94.00
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	80.99	...	80.99	103.93	...	103.93	105.30	...	105.30	115.38	...	115.38
केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं												
3. राज्य वक्फ बोर्डों के अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण और सुदृढीकरण	13.74	...	13.74	20.10	...	20.10	20.10	...	20.10
4. कोमी वक्फ बोर्ड तरक्कियती योजना और शहरी वक्फ संपत्ति विकास योजना	20.66	...	20.66
5. शिक्षा सशक्तिकरण
5.01 अल्पसंख्यकों के लिए पूर्व-मैट्रिक छात्रवृत्ति	980.00	...	980.00	1269.00	...	1269.00	1100.00	...	1100.00
5.02 अल्पसंख्यकों के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति	692.00	...	692.00	500.00	...	500.00	530.00	...	530.00
5.03 पेशेवर और तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए मेरिट-कम-मीन स्कॉलरशिप (अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट-ग्रेजुएट)	522.00	...	522.00	402.00	...	402.00	506.00	...	506.00
5.04 मौलाना आजाद अल्पसंख्यक छात्रों के लिए राष्ट्रीय कैलेंडरशिप	153.00	...	153.00	153.00	...	153.00	155.00	...	155.00
5.05 अल्पसंख्यकों के लिए सुफ्त कोचिंग और संबद्ध योजनाएं	74.00	...	74.00	74.00	...	74.00	125.00	...	125.00
5.06 विदेशी अध्ययनों के लिए शैक्षिक ऋण पर ब्याज सब्सिडी	24.00	...	24.00	45.00	...	45.00	30.00	...	30.00
5.07 यूपीएससी, एसएससी, स्टेट लोक सेवा आयोग आदि द्वारा आयोजित प्रीमिम्स को साफ करने वाले छात्रों के लिए सहायता	8.00	...	8.00	8.00	...	8.00	10.00	...	10.00
जोड़- शिक्षा सशक्तिकरण	2453.00	...	2453.00	2451.00	...	2451.00	2456.00	...	2456.00
6. कौशल विकास और जीवन शैली

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
6.01 कौशल विकास पहल	250.00	...	250.00	250.00	...	250.00	250.00	...	250.00
6.02 नई मंजिल - एकीकृत शैक्षिक और जीवन शैली पहल	140.00	...	140.00	120.00	...	120.00	140.00	...	140.00
6.03 पारंपरिक कला / विकास के लिए शिल्प	30.00	...	30.00	50.00	...	50.00	50.00	...	50.00
(यूएसटीटीएडी) में कौशल और प्रशिक्षण उन्नयन												
6.04 अल्पसंख्यक महिलाओं के नेतृत्व विकास के लिए योजना	15.00	...	15.00	17.00	...	17.00	21.00	...	21.00
6.05 एनएमडीएफसी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए राज्य	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00
चैनलिंग एजेंसियों (एससीए) को सहायता में अनुदान												
6.06 राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास विज्ञापन वित्त निगम	165.02	165.02	...	165.03	165.03	...	60.00	60.00
(एनएमडीएफसी) को इक्विटी का योगदान												
जोड़- कौशल विकास और जीवन शैली	437.00	165.02	602.02	439.00	165.03	604.03	463.00	60.00	523.00
7. अल्पसंख्यकों के विशेष कार्यक्रम												
7.01 अल्पसंख्यकों के लिए विकास योजनाओं के अनुसंधान /	55.00	...	55.00	55.00	...	55.00	60.00	...	60.00
अध्ययन, प्रचार, निगरानी और मूल्यांकन												
7.02 अल्पसंख्यकों की संस्कृति और विरासत के संरक्षण और	6.00	...	6.00	6.00	...	6.00	8.00	...	8.00
संरक्षण के लिए हमी धारोहर												
7.03 छोटी अल्पसंख्यक समुदाय की आवादी में गिरावट के	4.00	...	4.00	4.00	...	4.00	4.00	...	4.00
लिए योजना												
जोड़- अल्पसंख्यकों के विशेष कार्यक्रम	65.00	...	65.00	65.00	...	65.00	72.00	...	72.00
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं	13.74	...	13.74	2975.10	165.02	3140.12	2975.10	165.03	3140.13	3011.66	60.00	3071.66
केन्द्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय												
सांविधिक और विनियामक निकाय												
8. राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग	7.26	...	7.26	8.62	...	8.62	8.92	...	8.92	9.30	...	9.30
9. भाषाजात अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी	1.86	...	1.86	2.32	...	2.32	1.90	...	1.90	2.30	...	2.30
जोड़-सांविधिक और विनियामक निकाय	9.12	...	9.12	10.94	...	10.94	10.82	...	10.82	11.60	...	11.60
स्वायत्त निकाय												
10. मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान	113.00	...	113.00	125.01	...	125.01	123.76	...	123.76	70.00	...	70.00
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय	122.12	...	122.12	135.95	...	135.95	134.58	...	134.58	81.60	...	81.60
राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों को अन्तरण												
केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं												
अल्पसंख्यक विकास अम्ब्रेला कार्यक्रम												
11. शिक्षा सशक्तीकरण												
11.01 अल्पसंख्यकों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति	1108.14	...	1108.14
	-82.12	...	-82.12
<i>निवल</i>	<i>1026.02</i>	...	<i>1026.02</i>
11.02 अल्पसंख्यकों के लिए मैट्रिक पश्च छात्रवृत्ति	479.72	...	479.72

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
11.03 पेशेवर और तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए योग्यता-सह-साधन छात्रवृत्ति (स्नातक और स्नातकोत्तर)	388.79	...	388.79
11.04 अल्पसंख्यक छात्रों के लिए मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय फेलोशिप	124.87	...	124.87
11.05 अल्पसंख्यकों के लिए निशुल्क कोचिंग और संबद्ध स्कीमें	45.59	...	45.59
11.06 विदेश में अध्ययन के लिए शिक्षा ऋण पर ब्याज सस्मिडी	17.00	...	17.00
11.07 यूपीएससी, एसएससी, राज्य लोक सेवा आयोगों इत्यादि द्वारा संचालित प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों के लिए सहायता	6.18	...	6.18
<i>जोड़- शिक्षा सशक्तीकरण</i>	<i>2088.17</i>	<i>...</i>	<i>2088.17</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>
12. कौशल विकास और आजीविका												
12.01 सीखो और कमाओ- कौशल विकास पहलें	199.80	...	199.80
12.02 नई मंजिल- एकीकृत शिक्षा और आजीविका पहल	93.73	...	93.73
12.03 विकास हेतु पारंपरिक कलाओं/शिल्पों में कौशल उन्नयन और प्रशिक्षण	21.80	...	21.80
12.04 अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए नेतृत्व विकास स्कीम	15.19	...	15.19
12.05 एनएमडीएफसी कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए राज्य माध्यम एजेंसियों को सहायता अनुदान	0.30	...	0.30
12.06 राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम को इक्विटी अंशदान	...	170.00	170.00
<i>जोड़- कौशल विकास और आजीविका</i>	<i>330.82</i>	<i>170.00</i>	<i>500.82</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>
13. अल्पसंख्यकों के लिए विशेष कार्यक्रम												
13.01 अल्पसंख्यकों के लिए विकास स्कीमों का अनुसंधान/अध्ययन, प्रचार, निगरानी और मूल्यांकन	50.04	...	50.04
13.02 अल्पसंख्यकों संबंधी संस्कृति और धरोहर के संरक्षण और प्रतिरक्षण के लिए हमारी धरोहर	0.64	...	0.64
13.03 लघु अल्पसंख्यक समुदाय की जनसंख्या में गिरावट को नियंत्रित करने हेतु स्कीम	3.00	...	3.00
<i>जोड़- अल्पसंख्यकों के लिए विशेष कार्यक्रम</i>	<i>53.68</i>	<i>...</i>	<i>53.68</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>
14. अल्पसंख्यकों का विकास- अल्पसंख्यकों के लिए बहुक्षेत्रक विकास कार्यक्रम (एमएसडीपी)	1197.66	...	1197.66	1319.98	0.02	1320.00	1319.98	0.01	1319.99
15. प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम	1431.35	0.01	1431.36
जोड़-अल्पसंख्यक विकास अन्नैला कार्यक्रम	3670.33	170.00	3840.33	1319.98	0.02	1320.00	1319.98	0.01	1319.99	1431.35	0.01	1431.36
जोड़-केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं	3670.33	170.00	3840.33	1319.98	0.02	1320.00	1319.98	0.01	1319.99	1431.35	0.01	1431.36
कुल जोड़	3887.18	170.00	4057.18	4534.96	165.04	4700.00	4534.96	165.04	4700.00	4639.99	60.01	4700.00
ख. विकासात्मक शीर्ष सामाजिक सेवाएं												

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
1. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण	2291.56	...	2291.56	2549.15	...	2549.15	2508.78	...	2508.78	2558.80	...	2558.80
2. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	375.98	...	375.98	451.29	...	451.29	494.79	...	494.79	492.56	...	492.56
3. सचिवालय-सामाजिक सेवाएं	17.80	...	17.80	19.14	...	19.14	20.01	...	20.01	21.38	...	21.38
4. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजी परिव्यय	...	170.00	170.00	...	150.03	150.03	...	150.03	150.03	...	54.01	54.01
जोड़-सामाजिक सेवाएं	2685.34	170.00	2855.34	3019.58	150.03	3169.61	3023.58	150.03	3173.61	3072.74	54.01	3126.75
अन्य												
5. पूर्वोत्तर क्षेत्र	417.43	...	417.43	417.43	...	417.43	452.15	...	452.15
6. राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	1199.96	...	1199.96	1092.50	...	1092.50	1088.50	...	1088.50	1109.64	...	1109.64
7. संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	1.88	...	1.88	5.45	...	5.45	5.45	...	5.45	5.46	...	5.46
8. पूर्वोत्तर क्षेत्रों पर पूंजी परिव्यय	15.01	15.01	...	15.01	15.01	...	6.00	6.00
जोड़-अन्य	1201.84	...	1201.84	1515.38	15.01	1530.39	1511.38	15.01	1526.39	1567.25	6.00	1573.25
कुल जोड़	3887.18	170.00	4057.18	4534.96	165.04	4700.00	4534.96	165.04	4700.00	4639.99	60.01	4700.00

1. **सचिवालय:** यह प्रावधान सचिवालय पर व्यय के लिए है।

2. **अल्पसंख्यकों के लिए विशेष कार्यक्रम:** यह प्रावधान भारत और सऊदी अरब में हज प्रबंधन के लिए है।

4. **कौमी वक्फ बोर्ड तरक्कियती योजना और शहरी वक्फ संपत्ति विकास योजना:** कौमी वक्फ बोर्ड तारकियती योजना (क्यूडब्ल्यूबीटीएस) और शाहिरी वक्फ सम्पत्ति विकास योजना (एसडब्ल्यूएसवीके) रिपोर्ट्स के कम्प्यूटरीकरण, राज्य वक्फ बोर्डों के सुदृढीकरण और खाली शहरी वक्फ भूमि को अतिक्रमणकारियों से बचाने के लिए और इसे व्यावसायिक आय के लिए विकसित करने के लिए इसे विकसित करने के लिए लागू किया जा रहा है। क्रमशः कल्याणकारी गतिविधियों को व्यापक बनाने के लिए। डब्ल्यूडब्ल्यूएसआई मॉड्यूल, जीआईएस मैपिंग ऑफ वक्फ प्रॉपर्टी में डेटा एंट्री करने, वसीफ संपत्ति के जीआईएस मैपिंग, सेंट्रलाइज्ड कंपाउंड फेसिलिटी (सीसीएफ) के रखरखाव, एसडब्ल्यूबी के बेहतर प्रशासन के लिए ईआरपी सॉल्यूशन के लिए क्यूडब्ल्यूबीटीएस के तहत वित्तीय सहायता राज्य / केंद्रशासित प्रदेश वक्फ बोर्ड (एसडब्ल्यूबी) को दी जाती है। SWBs में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा की स्थापना, Muttawalli / प्रबंधन समिति को नकद पुरस्कार, SWB के प्रशिक्षण और प्रशासनिक लागत को पूरा करने के लिए कानूनी और लेखा अनुभाग को मजबूत करना।

एसडब्ल्यूएसवीबी तहत, शहरी वक्फ भूमि पर आर्थिक रूप से व्यवहार्य इमारतों जैसे वाणिज्यिक परिसरों, मैरिज हॉल, अस्पतालों, कोल्ड स्टोरेज आदि के लिए देश में विभिन्न वक्फ संस्थानों को व्याज मुक्त ऋण देने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। केन्द्रीय वक्फ परिषद दोनों योजनाओं के लिए कार्यान्वयन एजेंसी है।

5.01. **अल्पसंख्यकों के लिए पूर्व-मैट्रिक छात्रवृत्ति:** मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति अल्पसंख्यक समुदाय के उन विद्यार्थियों को प्रदान की जाती है, जो एक समुचित प्राधिकरण द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूलों में कक्षा 10 तक की शिक्षा के लिए पात्रता मानदंड को पूरा करते हैं।

5.02. **अल्पसंख्यकों के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति:** मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति अल्पसंख्यक समुदाय के उन विद्यार्थियों को प्रदान की जाती है, जो एक समुचित प्राधिकरण से मान्यता प्राप्त स्कूलों/कॉलेजों/संस्थानों/ विश्वविद्यालयों में तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों सहित कक्षा 11वीं व 12वीं स्तरों में अध्ययनों के लिए और स्नातक, स्नातकोत्तर तथा पी.एचडी स्तर पर सामान्य पाठ्यक्रमों के लिए योग्यता मानदंडों को पूरा करते हैं।

5.03. **पेशेवर और तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए मेरिट-कम-मीन स्कॉलरशिप (अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट-ग्रेजुएट):** यह छात्रवृत्ति अल्पसंख्यक समुदायों के उन विद्यार्थियों को दी जाती है, जो एक समुचित प्राधिकरण से मान्यता प्राप्त संस्थानों में स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर के व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रम के अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति से संबंधित पात्रता मानदंड को पूरा करते हैं।

5.04. **मौलाना आजाद अल्पसंख्यक छात्रों के लिए राष्ट्रीय फैलोशिप:** इस योजना का उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को एम.फिल. तथा पी.एचडी. जैसी उच्चतर शिक्षा ग्रहण करने के लिए वित्तीय सहायता स्वरूप अध्येतावृत्ति प्रदान करने का है। इस योजना के तहत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 2(च) के तहत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त सभी विश्वविद्यालयों/संस्थानों को शामिल किया गया है। अध्येतावृत्ति नियमित और पूर्णकालिक एम.फिल. तथा पी.एचडी. पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत शोध छात्रों को प्रदान की जा रही यूजीसी अध्येतावृत्ति के अनुरूप है।

5.05. **अल्पसंख्यकों के लिए मुफ्त कोचिंग और संबद्ध योजनाएं:** इस योजना का उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदाय के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को उनके ज्ञान, कौशल में वृद्धि करके उन्हें सरकारी, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र में प्रतियोगिता परीक्षाओं/चयन प्रक्रियाओं के माध्यम से रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना तथा ख्याति प्राप्त संस्थानों में प्रवेश प्राप्त करने के लिए सहायता करना है।

5.06. **विदेशी अध्ययनों के लिए शैक्षिक ऋण पर ब्याज सब्सिडी:** इस योजना को विदेश में उच्च अध्ययन करने के लिए चुने गए अल्पसंख्यक समुदायों के विद्यार्थियों को शैक्षिक ऋणों पर ब्याज इमदाद प्रदान करने के उद्देश्य से कार्यान्वित किया जा रहा है।

5.07. **यूपीएससी, एसएससी, स्टेट लोक सेवा आयोग आदि द्वारा आयोजित प्रीमिम्स को साफ़ करने वाले छात्रों के लिए सहायता:** इस योजना का उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदाय के अभ्यर्थियों, जिन्होंने संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी), राज्य लोक सेवा आयोगों (पीएससी) और कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) की समूह 'क' और 'ख' की प्रारंभिक परीक्षाएं उत्तीर्ण कर ली हैं, को सीधे वित्तीय सहायता प्रदान करते हुए। सिविल सेवाओं में उनका प्रतिनिधित्व बढ़ाना है जो इस समय देश में जनसंख्या में अल्पसंख्यकों के अनुपात से काफी कम है।

6.01. **कौशल विकास पहल:** इस योजना का उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदायों को जिनके पास कोई कौशल नहीं है, को कौशल प्रदान करते हुए समग्र उन्नति के लिए शहरी और ग्रामीण आजीविका में सुधार करना है। जिनके पास पहले ही कौशल है उनके लिए इस योजना का उद्देश्य उनके रोजगार अवसरों को बढ़ाने के लिए उनके कौशल का उन्नयन करना और उन्हें प्रत्यय-पत्र प्रदान करना भी है, ताकि अपने उद्यमों का विस्तार करने में सहायता के लिए ऐसे व्यक्तियों की ऋण तक पहुंच हो सके।

6.02. **नई मंजिल - एकीकृत शैक्षिक और जीवन शैली पहल:** योजना के मुख्य उद्देश्य हैं:- (i) "नई मंजिल" का उद्देश्य गरीब अल्पसंख्यक युवकों को रचनात्मक तरीके से संबद्ध करना और सतत् तथा लाभप्रद रोजगार के अवसर प्राप्त करने के लिए उनकी सहायता करना है जिससे उन्हें मुख्य धारा की आर्थिक गतिविधियों के साथ जुड़ने में सुविधा हो सके। (ii) अल्पसंख्यक समुदायों से उन युवकों को प्रेरित करना जो स्कूल ड्रॉपआउट हैं और उन्हें 8वीं अथवा 10वीं कक्षा तक राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एनआईओएस) या राज्य सरकार की अन्य मुक्त विद्यालयी शिक्षा व्यवस्था के माध्यम से औपचारिक शिक्षा और प्रमाण-पत्र प्रदान करना। (iii) बाजार संचालित कौशल में युवकों को एकीकृत कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना। (iv) प्रशिक्षित युवकों में से कम से कम 70% का ऐसी नौकरियों में प्लेसमेंट कराना जिससे उन्हें बुनियादी न्यूनतम मजदूरी मिले और उन्हें भविष्य निधि तथा ईएसआई आदि जैसी अन्य सामाजिक संरक्षण हकदारियां प्रदान करे। (v) स्वास्थ्य तथा जीवन कौशल में जागरूकता और सुग्राहिता पैदा करना।

6.03. **पारंपरिक कला / विकास के लिए शिल्प (यूएसटीडीएडी) में कौशल और प्रशिक्षण उन्नयन:** हमारे देश की परंपरागत कलाओं और शिल्पों को संरक्षित करने तथा अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित परंपरागत दस्तकारों/शिल्कारों के क्षमता निर्माण के लिए उस्ताद (विकास के लिए पारंपरिक कलाओं/शिल्पों में कौशल तथा प्रशिक्षण का उन्नयन) नामक एक नई योजना अनुमोदित की गई है। यह योजना एक तरफ देश की समृद्ध विरासत को संरक्षित करेगी तथा दूसरी ओर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार के साथ संबंध स्थापित करेगी तथा श्रमिक की प्रतिष्ठा सुनिश्चित करेगी।

6.04. **अल्पसंख्यक महिलाओं के नेतृत्व विकास के लिए योजना:** यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रगति के लाभ वंचित महिलाओं तक पहुंचे, ऐसी महिलाओं को नेतृत्व प्रशिक्षण और कौशल विकास प्रदान किया जा रहा है, ताकि वे अपने घर और समुदाय के दायरे से बाहर आने में सक्षम हो सकें और विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं के अधीन उन्हें उपलब्ध सेवाओं, कौशल और अवसरों के आकलन में नेतृत्व की भूमिका निभा सकें।

6.05. **एनएमडीएफसी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए राज्य चैनलिंग एजेंसियों (एससीए) को सहायता में अनुदान:** राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एनएमडीएफसी) अपने कार्यों का संचालन राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों के माध्यम से करता है। राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों को सहायता अनुदान उनकी क्षमताओं और प्रचालनों को सद्दृढ़ करने के लिए दिया जाता है।

6.06. **राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास विज्ञापन वित्त निगम (एनएमडीएफसी) को इकट्टी का योगदान:** यह प्रावधान राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम (एनएमडीएफसी) को शेयर पूंजी प्रदान करने और अल्पसंख्यकों के लिए नई पहल उद्यम पूंजी निधि के संचालन के लिए है।

7.01. **अल्पसंख्यकों के लिए विकास योजनाओं के अनुसंधान / अध्ययन, प्रचार, निगरानी और मूल्यांकन:** इसका उद्देश्य मंत्रालयों के कार्यक्रमों, योजनाओं और पहल की जानकारी के प्रसार के लिए 15 प्वाइंट कार्यक्रम, अन्य क्षेत्र सहित अन्य अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए कार्यक्रमों और योजनाओं का अध्ययन, मूल्यांकन और मॉनिटर करना है और साथ ही अध्ययन के लिए गहन मल्टी मीडिया अभियान भी चलाया जा रहा है।

7.02. **अल्पसंख्यकों की संस्कृति और विरासत के संरक्षण और संरक्षण के लिए हमी धारोहर:** हमारी धरोहर नामक नई योजना भारतीय संस्कृति की समग्र अवधारणा के अंतर्गत भारत के अल्पसंख्यक समुदायों की समृद्ध विरासत का संरक्षण करेगी।

7.03. **छोटी अल्पसंख्यक समुदाय की आबादी में गिरावट के लिए योजना:** इस योजना को सहायता-अनुदान के रूप में 100% केन्द्रीय वित्त-पोषण के साथ एक केन्द्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में लागू करने का प्रस्ताव है। इस योजना को संबंधित छोटे अल्पसंख्यक समुदाय के संगठनों/एनजीओ/सोसाइटियों के माध्यम से कार्यान्वित किया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य छोटे अल्पसंख्यक समुदाय की घटती जनसंख्या के रूझान को रोकना है।

8. **राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग:** राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के प्रशासनिक व्यय को पूरा करने के लिए यह प्रावधान है।

9. **भाषाजात अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी:** भाषाजात अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी के प्रशासनिक व्यय को पूरा करने के लिए यह प्रावधान है।

10. **मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान:** मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान एक स्वैच्छिक, गैर राजनीतिक, गैर-लाभ अर्जक सोसाइटी सामाजिक सेवा संगठन है जिसकी स्थापना शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों में शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई है। भारत सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गयी समेकित निधि के निवेश पर अर्जित ब्याज ही प्रतिष्ठान की आय का स्रोत है। प्रतिष्ठान की योजनाएं मौजूदा संस्थानों के विस्तार और उन्नयन तथा पिछड़े अल्पसंख्यकों की शैक्षिक स्थिति में सुधार करने के लिए है।

15. **प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम:** पीएमजेवाईके (प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम) एक विशेष क्षेत्र विकास कार्यक्रम है। पीएमजेवाईके का उद्देश्य विकास को संवोधित करना है, चयनित अल्पसंख्यक एकाग्रता क्षेत्रों में कमी (एमसीए यानी चिन्हित जिलों के मुख्यालय ब्लॉक / कस्बों / गांवों के समूह जो अल्पसंख्यक आबादी वाले गांवों की संख्या अपेक्षाकृत कम है) प्रधान मंत्री जन विकास कार्यक्रम के रूप में कार्यान्वयन के लिए एमएसडीपी को पुनर्जीवित और पुनर्जीवित किया गया है।